

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:—स. 3(9)(07)स्था./मंत्रा/अभि/2016/ 1960-64
प्रेषिति:—

दिनांक :- 6/2/18

1. श्रीमती विमला कुमारी पत्नी स्व. श्री जबराराम,
निवासी :- C/O श्री पेमाराम पुत्र श्री हीराराम मेघवाल,
मुकाम पोस्ट करवाडा, तहसील रानीवाडा, जिला जालौर (राज.) 343040
2. श्रीमती विमला कुमारी पत्नी स्व. श्री जबराराम,
निवासी :- मुकाम पोस्ट जाखल, तहसील सांचोर, जिला जालौर (राज.) 343041

विषय:— मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित के रूप में कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड—द्वितीय) के पद पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने बावत।

सन्दर्भ:— निदेशालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक 4435 दिनांक 21.04.16, 7586 दिनांक 06.07.16, 11639 दिनांक 21.10.16, 13184 दिनांक 28.11.16, 3489 दिनांक 15.03.17, 7012—13 दिनांक 04.05.17 के क्रम में।


उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों के द्वारा आपको मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित के रूप में कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड—द्वितीय) के पद पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने की कार्यवाही से पूर्व चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के तीन प्रपत्र, नियत पारिश्रमिक पर नियुक्ति की सहमति का पत्र तथा शपथ पत्रों का एक सेट बाद पूर्ति मय स्वयं के शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेजात एवं अन्य प्रमाण पत्रों के इस निदेशालय में जमा कराने हेतु प्रेषित किये गये थे, जो अन्तिम अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी आदिनांक तक भी बाद पूर्ति प्रेषित नहीं किये गये हैं।

अतः पुन अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये लेख है कि उक्त सन्दर्भित पत्रों द्वारा चाहे गये समस्त दस्तावेजात इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिवस में इस निदेशालय में प्रस्तुत करावें ताकि मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित के रूप में कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड—द्वितीय) के पद पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके। इसके पश्चात कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा, तथा निर्धारित समयावधि में आपके द्वारा कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आपका अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्र मूल ही निरस्त किये जाने हेतु कार्मिक (क-2) विभाग को भिजवा दिया जावेगा, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगी।


(देवेन्द्र दीक्षित)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग शासन सचिवालय राज. जयपुर।
2. नोडल अधिकारी, सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. सहायक निदेशक अभियोजन जालौर को भेज कर लेख है कि उपरोक्त पदाभिलाषी को विशेष वाहक द्वारा उक्त पत्र की तामिल करवाकर स्थिति से अविलम्ब अवगत करावें।


निदेशक अभियोजन
राजस्थान, जयपुर